



नगर पालिक निगम इंदौर

दिनांक 26-नवम्बर-2023

क्रमांक
PMT/IND/0152/5574/2023

प्रति

1. SHRI AMRATLAL S/O SHRI RATANSHI BHAI PATEL 2. SHRI CHETAN S/O SHRI VALLABH BHAI PATEL
656 SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक IND/IND/IND/0152/5933/2023

आपके संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में निम्न विवरण अनुसार भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था शपथ पत्र अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु प्रकोष्ठ विक्रय प्रतिबंधित ।

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 18 / 63
- कॉलोनी का नाम : sneh nagar (scheme 31) - O
- भूखंड क्रमांक : 656
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)
12.190

Plot Depth (M)
18.280

Gross Plot Area (SQ.M)
222.910

Net Plot Area (SQ.M)
222.910

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 278.640
Consumed FAR	: 1.230	Proposed Builtup Area	: 275.060
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 110.67
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 34.580
		Permissible Ground Coverage	: 0.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	275.06	0.00	0.0000	0.00	3.05	2.50	3.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S. No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	77.09	0.00	0.0000	0.00	77.09	19.54
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	14.48
Single	3	FLOOR01	0.00	104.50	0.00	0.0000	0.00	104.50	32.87
Single	4	FLOOR02	0.00	93.47	0.00	0.0000	0.00	93.47	43.78

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/IND/0152/12071/2023	97713.00	RCPT/IND/0152/16720/2023	11/23/2023	Online



नगर पालिक निगम इंदौर

DMD/IND/0152/12071/ 2023	50145.00	RCPT/IND/0152/16725/2 023	11/23/2023	Online
DMD/IND/0152/11650/ 2023	200.00	RCPT/IND/0152/15896/2 023	11/1/2023	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक 25-नवम्बर-2026 तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में नगर निगम अधिकारी को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञापत्री संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के दुर्व्यपरेक्षण पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा नगर पालिक निगम की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा नगर पालिक निगम, विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एनपी टू) डायमीटर का आरसीसी पार्प डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ऑट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन को व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनापत्ति आयुक्त सह सहायक नगरीय प्रशासन एवं विकास बोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में नान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।



नगर पालिक निगम इंदौर

19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
 20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
 21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
 22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
 23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
 24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
 25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
 26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिमोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
 27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
 28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।
- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी कबल विवाद या किसी अन्य विभाग से विरसगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

अन्य शर्त - सेप्टिक टैंक का निर्माण IS 2470 पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के मापदंडों के अनुसार करना होगा।

नगर निगम अधिकारी, इंदौर

Digitally signed by DEVISH KOTHARI
Date: 2023.11.26 21:15:35 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Indore

DRAWING STATUS MUNICIPAL DRAWING

DRAWING TITLE FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS

PROJECT INFORMATION			
DIVISION	INDORE	ZONE NO.	18
DISTRICT	INDORE	WARD NO.	63
ULB NAME	INDORE	PLOT NO.	656
ULB TYPE	MASTERPLAN		
COLONY NAME : SNEH NAGAR (SCHEME 31) - O			

PROJECT DETAILS	
CASE TYPE	ERECT
LAYOUT TYPE	YES
LAND USE	RESIDENTIAL
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL
BUILDING USE	RESIDENTIAL
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT - DETACHED TYPE

AREA STATEMENT	
A GROSS PLOT AREA	222.91
B DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS) 0	
C NET PLOT AREA (C=A-B)	222.91

SNO.	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	222.91	222.91
02.	FAR RATIO	1.25	1.234
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	275.06
	BUILT-UP AREA	-	275.06
04.	GROUND COVERAGE	0	34.58
	GROUND COVERAGE AREA	-	77.08
05.	BUILDING HEIGHT	12.50	11
07.	FRONTAGE	12.19	12.19
08.	ROAD WIDTH	9	9
09.	FRONT MOS	3.05	3.05
10.	REAR MOS	2.5	2.5
11.	SIDE-1 MOS	3	3
12.	SIDE-2 MOS	0	0


01.	NON-FAR AREA	110.67
02.	TOTAL SLAB AREA	385.73
03.	PARKING AREA	105.86
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0
06.	NO OF TREES REQUIRED	2NOS

DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY	SHEET SIZE	SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N





CERTIFICATE OF AREA
 CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER APPEARANCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES TIC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.

CONSULTANT	DESIGNATION	SIGN OF CONSULTANT
Bhupendra Narayan Patidar		
OWNERS NAME & ADDRESS		
1. SHRI AMRATLAL S/O SHRI RAJANSHI BHAI PATEL & SHRI CHETAN S/O BHRI VALLABH BHAI PATEL, 656 SCHEME NO 31 SNEH NAGAR INDORE		
BC NAME		
BI NAME		
BO NAME		
SEAL OF APPROVAL		

FILE NO. : CDrawing-IND-IND-IND-0152-5833-2023.Dwg



Digitally signed by BHAIKOTIYAN
 DN: cn=BHAIKOTIYAN, o=INDIAN
 Reason: Signing time approval
 Location: Chennai Local Body, Chennai




FRONT ELEVATION

REAR ELEVATION

SECTION A1 - B1

SECTION A1 - A1

SITE PLAN



PROJECT INFORMATION	NO. 2021	DATE	NO. 19
OWNER	NO. 2021	DATE	NO. 19
DESIGNER	NO. 2021	DATE	NO. 19
CLIENT NAME	NO. 2021	DATE	NO. 19

PROJECT DETAILS	DATE	NO.
DATE	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

AREA STATEMENT	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

THE DESIGN	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021	NO.	DATE
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19
NO. 2021	NO. 2021	NO. 19

NO. 2021

कार्यालय नगर पालिका निगम, इन्दौर

सम्पत्तिकर विभाग
नामांतरण दाखला

(ध.प्र.नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत)

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार

क्रमांक...344

दिनांक 14/11/2023
दिन/सर्दिस क्र1001307592.....

श्रीमान / श्रीमती अमृतलाल पिता रतनश्री भाई पटेल बेतन पिता बल्लभ भाई पटेल

क्रमांक.

विषय:- भुखण्ड/मकान नं/प्लेट नं.....656 कॉलोनी/गोहल्ता रोह नगर इंदौर दिन/सर्दिस क्रमांक.
..... 1001307592..... पर नाम परिवर्तन करने हेतु।

आपका पत्र क्रमांक...349...दिनांक.30/10/2023...को इस कार्यालय में प्राप्त होने से आपको सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम इन्दौर की वसुली कर पुस्तिका में भुखण्ड/मकान नं./प्लेट नं.....656 कॉलोनी/गोहल्ता.. रोह नगर इंदौर श्री. मनोज पिता जमनादास रामचंद्रानी विशाल पिता जमनादास रामचंद्रानी के स्थान पर श्रीमान/श्रीमती. अमृतलाल पिता रतनश्री भाई पटेल बेतन पिता बल्लभ भाई पटेल का नाम अंकित किया गया है।

दिनांक 30/10/2023

(1) नामान्तरण शुल्क..... 750/- भावती विवरण..... 1520406734. दिनांक 30/10/2023.

(2) रुजवात शुल्क..... 130/- पावती विवरण..... 1520406735. दिनांक 30/10/2023.

(3) जाहिर सूचना दिनांक..... 31/10/2023 समाचार पत्र..... भद्र भाषी होगा।

भवन का सम्पूर्ण भाग/विभाजन/एकीकरण/शेअर भाग को स्थिती में नवीन भवन क्रमांक.....

सम्पत्ति का आयात विवरण:-

कंप्यूटर शीट अनुसूचर

उत्तराखण्ड सरकार, इन्दौर
नगरपालिका निगम, इन्दौर
नगरपालिका निगम, इन्दौर
नगरपालिका निगम, इन्दौर

(1) अपातित व किसी भी प्रकार की विवाहित स्थिती व असत्य जानकारी अथवा न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिती में किया गया नामांतरण बिना सूचना दिए स्वतः ही निरस्त माना जावे/जावेगा।

(2) यह नामांतरण केवल कर-संग्रहण के उद्देश्य के लिए ही किया गया है।

(3) अपने भवन के बाहर मकान नम्बर को प्रदर्शन अवश्य करें।

प्रतिनिधि:-

1. उपायुक्त (असेसमेंट एवं सर्वे) को ओर जानकारी एवं संबंधित खाते में आवश्यक दुरस्ती करने के आदेश हेतु प्रस्तुत।

सहायक उपायुक्त
उपायुक्त (असेसमेंट एवं सर्वे)
नगरपालिका निगम, इन्दौर
नगरपालिका निगम, इन्दौर



कार्यालय नगर पालिका निगम, इन्दौर

आवृत्तिकर निगम
नगरपालिका कार्यालय

(1) व (2) नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

नगरपालिका निगम का आदेश

दिनांक 28/01/2023
दिनांक 1001307592

पृष्ठ संख्या 355

श्रीमान् श्रीमती प्रमोद सिन्हा जन्मनाथन राम जन्म विद्यालया जन्मनाथन राम जन्मनाथन

दिनांक 10/01/2023

विषय - श्रीमान् श्रीमती प्रमोद सिन्हा जन्मनाथन राम जन्म विद्यालया जन्मनाथन राम जन्मनाथन
1001307592 पर अनुमति प्रदान करना है।

आपका पत्र क्रमांक 364 दिनांक 10/01/2023 को प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में प्रायः सभी
से आपकी सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम इन्दौर की स्थायी कर
पुरस्तिता में गुरुपण्ड/मकान नं/प्लॉट नं 656 कालोनी/मोहल्ली कर कर द्वारा
मनोज सिन्हा कल्याण राय के स्थान पर श्रीमान्/श्रीमती मनोज सिन्हा जन्मनाथन राम जन्मनाथन
विशास पिता जन्मनाथन राम जन्मनाथनी का नाम अधिकृत किया गया है।

दिनांक 10/01/2023
दिनांक 10/01/2023

(1) नामांतरण शुल्क 750/- पान्ती विवरण 1520299352
(2) राजस्व शुल्क 110/- पान्ती विवरण 1520299351

(3) जाहिर सूचना दिनांक 12/01/2023 समाचार पत्र अन्न सिन्धु

सम्पत्ति का अग्राम विवरण
G.F RCC 1200 RESI SELF
F.F RCC 1200 RESI SELF

आवृत्तिकर निगम, इन्दौर
नगर पालिका निगम, इन्दौर

(1) आवृत्ति व विपरी भी प्रकार की विपरीत स्थिती उ अन्तर्गत जीनकारी अथवा न्यायालयीन प्रकरण
होने की स्थिती में किया गया नामांतरण दिना सूचना दिए स्था ही निरस्त माना जावे/ जाया
(2) यह नामांतरण कंगल कर-संग्रहण के उद्देश्य के लिए ही किया गया है।
(3) अपने मकान के बाहर मकान नम्बर का प्रदर्शन अवश्य करें।

प्रतिलिपि -
1. उपयुक्त (असेसमेंट एवं सर्वे) की ओर जानकारी एवं संबंधित खाते में आवश्यक दस्तावेज करने

के आदेश हस्त प्रस्तुत।

S/d

आवृत्तिकर निगम, इन्दौर
नगर पालिका निगम, इन्दौर



इन्दौर विकास प्राधिकरण INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांक 7566/संपदा/2021

दिनांक: 22 OCT 2021

- 1- श्री राजकुमार पिता स्व.मनोहरलाल राठौर
- 2- श्री विजय पिता स्व.मनोहरलाल राठौर
- 3- श्रीमती कुसुमलता पति श्री प्रमल राधाशिव इंगाने (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर)
- 4- श्रीमती पुषा पति श्री नरेंद्र कुमार राठौर (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर)
- 5- श्रीमती शोभा पति श्री राजेंद्र सिंहल (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर)
- 6- श्री अशोक पिता श्री सुखराज राठौर (स्व.मनोहरलाल राठौर की पुत्र पुत्री स्व.हेमलता राठौर के पति) निवासी-656, स्नेह नगर, इन्दौर

विषय : योजना क्रमांक 31 के भूखण्ड क्रमांक 656 (आवासीय) के मूल्य नागरिकरण वाद ।
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र आंक क्रमांक 35092 दिनांक 14-07-2021.

प्राधिकारी द्वारा योजना क्रमांक 31 का मातकी हक का भूखण्ड क्रमांक 656 (आवासीय) श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर का अतिरिक्त किया गया था। अतिरिची श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर का निधन 14-05-1996 को, इनकी पत्नी श्रीमती राधा राई का निधन 09-02-2020 को तथा अतिरिची की माताजी का भी निधन हो जाने से शेष वारिसों अर्थात् आपका द्वारा आवेदन के साथ श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर इनकी पत्नी एवं पुत्री के मूल्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति इस्कारनामा, कतिपय तैयार व फाँटे, साधक पत्र, घोषणा पत्र, सशक्ति के फोटोग्राफ एवं अन्य दस्तावेज संतलण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मूल्य अंतर्ण के राखने में जाहिए राजना समगार पत्र आवेदन के साथ श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर इनकी माताजी एवं पुत्री के फोटोग्राफ एवं अन्य दस्तावेज संतलण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। मूल्य अंतर्ण के राखने में जाहिए राजना समगार पत्र आवेदन के साथ श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर इनकी माताजी, पत्नी एवं पुत्री के फोटोग्राफ एवं अन्य दस्तावेज संतलण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अतः योजना क्रमांक 31 का मातकी हक के भूखण्ड क्रमांक 656 परिकारी प्राप्त नहीं हुई थी। अतः योजना क्रमांक 31 का मातकी हक के भूखण्ड क्रमांक 656 कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः योजना क्रमांक 31 का मातकी हक के भूखण्ड क्रमांक 656 (आवासीय) पर अतिरिची (मुक्तक) श्री मनोहरलाल पिता श्री ओंकारलाल राठौर इनकी माताजी, पत्नी एवं पुत्री का निधन हो जाने से शेष वारिसों के नाम आपका अर्थात् (1) श्री राजकुमार पिता स्व. मनोहरलाल राठौर (2) श्री विजय पिता स्व.मनोहरलाल राठौर (3) श्रीमती कुसुमलता पति श्री प्रमल राधाशिव इंगाने (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर) (4) श्रीमती पुषा पति श्री नरेंद्र कुमार राठौर (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर) (5) श्रीमती शोभा पति श्री राजेंद्र सिंहल (पिता स्व.मनोहरलाल राठौर) की पुत्र पुत्री स्व. हेमलता राठौर के पति) निवासी-656, स्नेह नगर, इन्दौर का नाम प्राधिकारी के अभिलेखों में संयुक्त रूप से दर्ज किया जाता है। अतः उक्त नोट के विवरित निर्माण/अनाधिकृत उत्तराधिकारियों से संबंधित गहन पर स्वीकृत नोट के विवरित निर्माण/अनाधिकृत निर्माण/एन.ओ.एस. में निर्माण केष नहीं होगा, इसके लिये समग सस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदन/विषय पत्र में उल्लिखित उपायोग/सर्वों का उल्लेख होने पर अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी असत्य होने की स्थिति में उत्तराधिकार अंतर्ण का पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
महो. द्वारा जारी निर्देशानुसार)

संपदा अधिकारी वर्ग-2
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

दिनांक: /संपदा/2021

प.क्रमांक :
प्रतिनिधि : इ.डी.पी. भैरव, इ.वि.प्रा. इन्दौर संदर्भ क्रमांक 13033936 में आग्रहक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संपदा अधिकारी वर्ग-2
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर